राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

पत्रांक : 876 / रा.नि.आ.-2/1379/2018

दिनांक 15.10.2018

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

प्रेषक,

चन्द्रशेखर भट्ट,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून ।

राज्य निर्वाचन आयोग : अनुभाग–3 : देहरादून।

विषयः–आदर्श आचरण संहिता के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि नागर निकाय सामान्य निर्वाचन–2018 की अधिसूचना दिनांक 15.10.2018 जारी होने के फलस्वरूप आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इस सम्बन्ध में आदर्श आचरण संहिता की **प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न** की जा रही है।

1–माननीय मंत्रियो को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार कार्य से नहीं जोड़ना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय तंत्र अथवा कर्मियों का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

2–सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी और अर्द्ध–सरकारी वाहनों तंत्र,सम्पत्तियों और कर्मियों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

3–सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभायें आयोजित करने और निर्वाचन के सम्बन्ध में हवाई उड़ानों के लिए हैलीपैड़ों के इस्तेमाल करने के लिए अपना एकाधिकार न जमायें। ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और उम्मीदवारों को भी उन्हीं शर्तो पर करने दिया जाय, जिन शर्तो पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

आदर्श आचरण संहिता का पूर्ण अनुपालन कराने के लिए यह उचित होगा कि नागर निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में माननीय मंत्रीगण निर्वाचन अवधि तक शासकीय साधनों से शासकीय यात्रायें न करें। व्यक्तिगत यात्राओं के लिए शासकीय साधनों एवं सरकारी तंत्र का प्रयोग न किया जाय।

कृपया इन व्यवस्थाओं से सभी सम्बन्धित विभागों, विभागाध्यक्षों, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों तथा राज्य के सभी जिलाधिकारियों को अनुपालन हेतु अवगत करा दिया जाय।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर भट्ट)
राज्य निर्वाचन आयुक्त ।

क्रमशः.........2

निर्वाचन भवन, ग्राम लाडपुर
मसूरी बाईपास ,रिंग रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड)
दूरभाष : 0135 - 2670457 , 2670998
टैलीफैक्स : 0135 - 2670920 , 2678945
ई - मेल : sec.uttarakhand@gmail.com

संख्या–896/रा0नि0आ0–3/1379/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।

3– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

4– समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय),उत्तराखण्ड।

5– समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), उत्तराखण्ड।

6– समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।

7– गार्ड फाईल।

15/10/18

(रोशन लाल)
सचिव।

सत्यमेव जयते

STATE ELECTION COMMISSION
UTTARAKHAND

राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत एवं नागर निकाय निर्वाचन में राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों तथा शासकीय कर्मियों के मार्गदर्शन हेतु

आदर्श आचरण संहिता

2018

वोट हमारा है अधिकार, कभी न करें इसे बेकार

भारत का संविधान, 1950

उद्देशिका

हम भारत के लोग, भारत को एक **सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की **स्वतंत्रता,**
प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता
और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई0 को **एतदद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।**

वोट है लोकतंत्र का आधार

प्राक्कथन

''भारत का संविधान'' में किये गये 73वें व 74वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों एवं स्थानीय नागर निकायों को संवैधानिक स्तर प्राप्त होने के बाद इन संस्थाओं के पदाधिकारियों का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गया था । इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिये संविधान के अनुच्छेद-243ट तथा 243य क में पंचायतों एवं नागर निकायों के पदाधिकारियों के निर्वाचन में अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्राविधान किया गया ।

उत्तराखण्ड राज्य के सृजन के पश्चात संविधान के अनुच्छेद-243ट एवं 243य क में किये गये प्राविधानुसार दिनांक 30 जुलाई, 2001 को राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया । राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय अपने निजी भवन **''निर्वाचन भवन'' लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून** में स्थित है, राज्य गठनोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 13 जनपदों में त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर निकायों के सभी निर्वाचन समय-सारिणी के अनुसार निर्विघ्न, निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से सम्पादित कराये जा रहे हैं ।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचन को दृढ़ता, कुशलता तथा पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से निष्पादित करने हेतु सभी राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों तथा निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ-साथ मा0 मंत्रीगणों, मा0 विधायकों, नीति निर्धारिकों तथा अधिकारियों-कर्मचारियों के क्रिया-कलापों को निर्वाचन के हित में व्यवस्थित करने के लिये **''आदर्श आचरण संहिता''** बनाई गई है जिसके फलस्वरूप अब तक सम्पादित सभी निर्वाचन कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुए हैं जिसके लिए मैं सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों तथा निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों-कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सकारात्मक सहयोग से आयोग हिंसामुक्त, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने में सफल हो सका है ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आयोग द्वारा जारी यह **''आदर्श आचरण संहिता''** सरकार में नीति निर्धारकों, मा0 मंत्रीगणों, मा0 विधायकों, जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों के समुचित मार्ग दर्शन के लिये लाभकारी सिद्ध होगी ।

सुबर्द्धन
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
उत्तराखण्ड ।

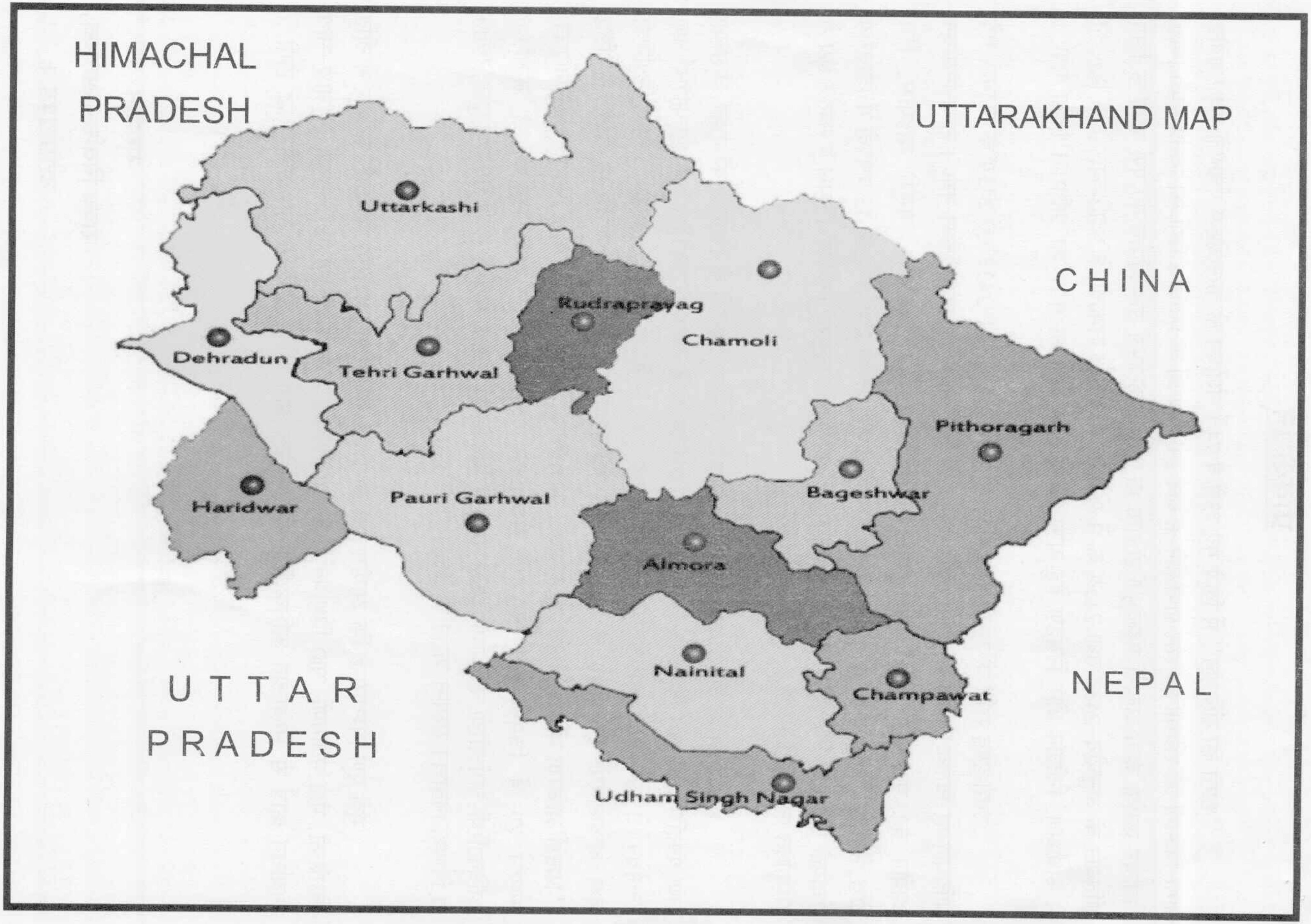
HIMACHAL PRADESH
UTTARAKHAND MAP
CHINA
Uttarkashi
Rudraprayag
Chamoli
Dehradun
Tehri Garhwal
Pithoragarh
Bageshwar
Haridwar
Pauri Garhwal
Almora
Nainital
Champawat
NEPAL
UTTAR PRADESH
Udham Singh Nagar

''भारत का संविधान'' के 73वें व 74वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायतों एवं नागर निकायों को न संवैधानिक इकाई का दर्जा दिया गया है, बल्कि प्रत्येक पॉच वर्ष में इनके निर्वाचन अनिवार्य कर ये हैं । उक्त संशोधनों द्वारा इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ी के अलावा महिलाओं के आरक्षण की भी व्यवस्था की गयी है जो पंचायतों को प्रभावी बनाने की में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 243-ट तथा 243-य क के अन्तर्गत पंचायतों एवं नागर ायों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है । अत: निर्वाचनों को सही ढंग से सम्पादित कराने हेतु **''आदर्श आचरण संहिता''** की परम आवश्यकता है, ताकि र्वाचनों की स्वतंत्रता एंव निष्पक्षता निरन्तर बनी रहे । अत: राज्य की पांचायतों व नागर निकायों के नर्वाचनों को पूर्णत: स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से सम्पादित करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक ''आदर्श आचरण संहिता'' तैयार की गई है जो कि इन निर्वाचनों के दौरान सभी उम्मीदवारों, राजनैतिक दलों, मतदाताओं, शासकीय विभागों और चुनाव प्रक्रिया से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों आदि पर लागू होगी ।

आदर्श आचरण संहिता के अधिकांश प्राविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1980 ई0 में पूर्व से ही निहित है, अर्थात इस संहिता के उल्लंघन करने वालों को उपरोक्त अधिनियमों के अन्तर्गत दण्ड दिया जा सकता है इसके अलावा उल्लघंन पाये जाने पर सम्बन्धित क्षेत्र का निर्वाचन, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रद्द भी किया जा सकता है ।

अत: संविधान के अनुच्छेद 243-ट, 243 य क एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत एवं यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथावृत एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत एवं यथासंशोधित), तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड में यथावृत एवं यथासंशोधित) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड निम्नलिखित '' आदर्श आचरण संहिता'' राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू करने की उद्घोषणा करता है ।

1-<u>सामान्य आचरण संहिता :-</u>

1. किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जिससे कि किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो या उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो ।
2. मत प्राप्त करने के लिये जातीय, सम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लेना चाहिए ।

मर्जी से मतदान है करना, नहीं किसी से अब है डरना !

3. पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं करना चाहिए ।

4. किसी भी उम्मीदवार को ऐसे कार्यो से ईमानदारी के साथ परहेज करना चाहिए जो कि निर्वाचन विधि के अन्तर्गत "भ्रष्ट आचरण" और अपराध माने गये हैं । जैसे :-

(क) मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभा करना ।

(ख) किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या करवाना ।

(ग) मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा-धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित करने का प्रयास करना ।

(घ) मतदाताओं का प्रतिरूपण कर अर्थात गलत नाम से अपने पक्ष में मतदान करने के लिये किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से प्रोत्साहित करना या मदद करना ।

(ङ) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या मतदान केन्द्र से जाने के लिये वाहनों का उपयोग करना ।

(च) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संयाचना करना ।

(छ) मतदान केन्द्र में या उसके आस-पास आपत्तिजनक अथवा अशोभनिय आचरण करना या मतदान केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना ।

(ज) मतदान केन्द्रों में कब्जा करना अथवा मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने से रोकना या मतदेय मतदेय स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करना ।

(झ) आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करना या उनमें अनाधिकृत/अवैध मतपत्रों को शामिल करना ।

5. मतदान के दो दिन पहले से मतदान के अन्तिम समय तक उम्मीदवार न तो मादक वस्तुऐं खरीदें, न ही वह उन्हें किसी व्यक्ति को सेवन या वितरण के लिये दें । इतना ही नहीं, वह अपने चुनाव कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी ऐसा न करने दें ।

6. निर्वाचन कार्य में तैनात अधिकारियों के साथ प्रत्येक उम्मीदवार व उसके कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को पूरा सहयोग करना चाहिए, प्रत्येक उम्मीदवार की यह नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है ।

7. मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे कागज पर होनी चाहिये, जिनमें मतदाताओं का नाम, उनके माता/पिता का नाम, ग्राम मतदान केन्द्र क्रमाँक तथा मतदाता सूची में उसके अनुक्रमांक के अतिरिक्त और कुछ नहीं लिखा होना चाहिये ।

सबकी सुनें, सभी को जानें, निर्णय अपने मन का जानें !

8. किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं करनी चाहिए जिनका उसके सार्वजनिक जीवन या क्रिया-कलापों से कोई सम्बन्ध नहीं हो, और न ही ऐसे आरोप लगाने चाहिये जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो ।

9. किसी भी उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थकों का पुतले लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिए ।

10. किसी भी उम्मीदवार को सत्ताधारी दल से चाहे वह केन्द्र का हो या राज्य का, किसी भी तरह से अपने चुनाव प्रचार तथा अपने पक्ष में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिये सहायता नहीं लेनी चाहिये ।

11. शासन के विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिये किसी भी उम्मीदवार को नहीं करना चाहिये ।

2 - चुनाव प्रचार :-

1. प्रत्येक उम्मीदवार को चाहिये कि वह अपने चुनाव प्रचार हेतु किसी सरकारी भवन, कार्यालय एवं किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लगवाने तथा संदेश या नारे लिखने जैसे काम हेतु उस सम्पत्ति के स्वामी तथा उसमें अध्यासित व्यक्ति की अनुमति के बिना न करें और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं को ऐसा करने दें ।

2. किसी भी उम्मीदवार द्वारा दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टरों को नहीं हटाना चाहिये ।

3. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके कार्यकर्ताओं या उनके समर्थकों द्वारा किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं और जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न न की जाय । उम्मीदवारों को अपने समर्थन में जुलूस, उस रास्ते से या स्थान से नहीं ले जाने और आयोजित नहीं करने चाहिए, जहां दूसरा कोई उम्मीदवार अपने समर्थन में जुलूस या सभा आयोजित कर रहा है ।

2 - सभायें एवं जुलूस :-

1. सार्वजनिक सभा या रैली के आयोजनार्थ प्रस्तावित स्थान तथा समय की सूचना उम्मीदवारों को स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पहले से ही उपयुक्त समय पर दे देनी चाहिये ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति व्यवस्था बनाने के लिये आवश्यक प्रबन्ध किया जा सकें ।

2. किसी हाट/बाजार या सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा या रैली के आयोजन के लिये सम्बन्धित अधिकारियों से पूर्वानुमति ली जानी चाहिये ।

वोट मैं अपना देकर आई, चुनकर है सरकार बनाई !

3. उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि जिस स्थान पर उसका या उसके समर्थकों का, उसकी उम्मीदवारी के पक्ष में सभा या रैली करने का प्रस्ताव है, वहीं कोई निषेधात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश तो शासन अथवा न्यायालय द्वारा लागू नहीं है । यदि ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिये । यदि ऐसे आदेशों से छूट का प्राविधान हो तो उसके लिये समय से आवेदन कर छूट की आज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिये ।
4. उम्मीदवार को चाहिये कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गो से ले जायें, जिन मार्गो के लिये उसे पूर्वानुमति मिली हो और उसमें कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिये ।
5. उम्मीदवार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि उसके जुलूसों या सार्वजनिक सभाओं या रैलियों के कारण यातायात में कोई बाधा न पड़े । ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये ।
6. उम्मीदवार को सुनिश्चित करना चाहिये कि उसके जुलूसों और सभाओं या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलने में प्रतिबंध हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है ।
7. यदि किसी प्रस्तावित सभा या रैली के सम्बन्ध में लाउडस्पीकर के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो, तो उम्मीदवार को जिलाधिकारी से पर्याप्त समय पूर्व आवेदन पत्र द्वारा प्राप्त कर लेनी चाहिये ।
8. उम्मीदवार और उसकी सभा या रैली के आयोजकों का यह नैतिक और कानूनी दायित्व है कि वे सभा या रैली में विघ्न डालने वालों से या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने के प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की मदद लें, न कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने लगें ।

4 – मतदान दिवस पर उम्मीदवार से अपेक्षा :-

1. निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे हुये अधिकारियों के साथ सहयोग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदान शान्ति पूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो और मतदाताओं को इस बात की स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी, बाधा एवं दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें ।
2. अपने प्रातिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान-पत्र समय से दें।
3. इस बात को सुनिश्चित करें कि उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं को दी गई पहचान पर्चियां सादे कागज पर हों और उन पर कोई प्रतीक या उम्मीदवार का नाम न हो ।
4. मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये शिविरों के आस-पास अनावश्यक भीड़ न होने दें ताकि उम्मीदवारों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच आपस में मुठभेड़ या तनाव होने की स्थिति उत्पन्न न होने पावे।

बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता !

5. यह सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार के उक्त शिविर साधारण हो और उन पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में स्पष्ट अथवा सांकेतिक चुनाव प्रचार न हो और उनमें कोई खाद्य एवं पेय पदार्थ दिये जायें और न ही वहां पर भीड़ लगने दी जाय ।

6. मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगायी जाने वाली पाबन्दियों का पालन करने में अधिकारियों के साथ सहयोग करें ।

7. मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये अनुमति-पत्र (पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा ।

5 – सत्ताधरी दल हेतु अपेक्षित आचरण एवं व्यवहार :-

1. सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को यह शिकायत का मौका न मिले कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का दुरूपयोग किया है ।

और विशेष रूप से-

(क) मा0 मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार कार्य से नहीं जोड़ना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुये शासकीय तंत्र अथवा कर्मियों का उपयोग नहीं किया जायेगा ।

(ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी और अर्द्धसरकारी वाहनों, तंत्र और कर्मियों का सत्ताधारी दल के हित में बढ़ावा देने के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा ।

2. सत्ताधरी दल को चाहिये कि वह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभायें आयोजित करने और निर्वाचन के सम्बन्ध के सम्बन्ध में हवाई उड़ानों के लिये हैलीपैडों के इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार न जमायें । ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और उम्मीदवारों को भी उन्हीं शर्तो पर करने दिया जाय, जिन शर्तो पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है ।

6– शासकीय विभागों एवं कर्मियों के लिए :-

1. शासकीय कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिये । यह आवश्यक है कि किसी को यह महसूस न होने दें कि वे निष्पक्ष नहीं हैं । जनता को उनकी निष्पक्षता पर विश्वास होना चाहिये तथा उन्हें ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिये जिससे कि ऐसी आशंका हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद/विरोध कर रहे हैं ।

2. चुनाव के दौरे के समय यदि कोई भी मा0 मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले, तो किसी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिये । यदि कोई निमंत्रण-पत्र प्राप्त हो तो उसे नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिये।

निर्भय होकर मतदान करेंगे, देश का हम सम्मान करेंगे !

3. साधारणतया चुनाव के समय जो आम सभा आयोजित की जाती है उसे चुनाव सम्बन्धी सभा मानना चाहिये और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं होना चाहिये । अतः चुनाव के दौरान क्षेत्र में असामान्य निर्माण या किसी परियोजना के शिलान्यास या उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाना चाहिये।

4. उन अधिकारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा या आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिये या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, दूसरे अधिकारियों को ऐसी सभा या आयोजन में शामिल नहीं होना चाहिये ।

5. यदि कोई मा0 मंत्री चुनाव के काम के लिये चुनाव क्षेत्र में जाये तो शासकीय कर्मचारियों को उनके साथ नहीं जाना चाहिये ।

6. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवार या राजनैतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये । यदि एक ही दिन में कोई उम्मीदवार या दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हैं, तो उस उम्मीदवार या दल को अनुमति दी जानी चाहिये, जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया हो ।

7 – निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने के दिनांक तक :-

(क) नगर पालिकाओं/निगमों, सरकारी संस्थाओं एवं शासकीय उपक्रमों, प्राधिकरणों/निकायों, जिला पंचायतों एवं अन्य सरकारी वाहनों के उपयोग की अनुमति मा0 मंत्रीगणों, सांसदों एवं विधान मण्डल सदस्यों, पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों अथवा उम्मीदवारों को नहीं दी जानी चाहिये । मा0 मंत्रीगण चुनाव अवधि तक शासकीय वाहनों से अशासकीय यात्रायें न करें । व्यक्तिगत यात्राओं के लिये शासकीय वाहनों एवं सरकारी तंत्र का प्रयोग ना किया जाये और न ही सरकारी तंत्र से किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की जानी चाहिये ।

(ख) मा0 मंत्रीगणों, पंचायतों एवं नागर निकायों के निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा जन-सम्पर्क राशि या विवेकाधीन राशि में से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहियें ।

निर्वाचन प्रक्रिया की सम्पूर्ण अवधि में सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में सांसद निधि, विधायक निधि व अन्य किसी शासकीय निधि से नये निर्माण कार्य न तो स्वीकृत किये जाय, न तो क्रियान्वित किये जाय और न ही उनकी घोषणा की जानी चाहिये । अर्थात यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी नये निर्माण कार्य शुरू किये जायेंगे और न ही उक्तार्थ धनराशि स्वीकृत की जायेगी । ऐसे कार्यो को करने हेतु निविदायें, विज्ञापन आदि भी प्रकाशित नहीं की जायेगी तथा ऐसी निविदायें जो आदर्श आचारण संहिता के प्रभावी होने के पूर्व आमंत्रित की जा चुकी हों उन पर भी अग्रेत्तर कोई भी कार्यवाही/निर्णय आदर्श आचार संहिता के निष्प्रभावी होने के बाद की जाय (निर्वाचन प्रक्रिया की

अधिसूचना से पूर्व तक जो भी निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुके तथा निर्माणाधीन थे, उन कार्यो पर रोक नहीं होगी । अपितु नये निर्माण कार्यो, जिनसे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं, उन पर पूर्णत: रोक रहेगी) ऐसे सतत चलने वाले विकास/निर्माण कार्य जो वर्ष-प्रतिवर्ष केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तथा राज्य सरकार की आय-व्ययक में पहले से प्राविधानित हो उन पर कोई रोक नहीं होगी ।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रभावी क्षेत्रों की जनता की सुरक्षा एवं सहायता के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति के अधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्राविधानों में शिथिलीकरण किया जा सकता है ।

नई योजनाओं की शुरूआत, शिलान्यास, उद्घाटन आदि नहीं किये जायेंगे । तात्पर्य यह है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जिससे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मतदाता पर प्रभाव पड़ने की आशंका हो ।

(ग) शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विभागों या संस्थाओं द्वारा ऐसे विज्ञापन समाचार-पत्रों अथवा अन्य प्रचार माध्यमों से नहीं दिये जाएं जो सत्तारूढ दल के शासन अथवा या संस्थाओं की उल्लेखनीय प्रगति, भावी योजना या आश्वासनों को रेखांकित करते हो ।

(घ) निर्वाचन प्रक्रिया की अवधि के दौरान आदर्श आचरण संहिता लागू रहते हुए विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा नई नियुक्तियों/भर्ती आदि नहीं की जायेगी । यह प्रतिबंध कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन से सम्बन्धित आई0ए0एस0, आई0पी0एस0, पी0सी0एस0 एवं पी0पी0एस0 संवर्ग के अधिकारियों पर भी लागू रहेगा ।

उक्त के अतिरिक्त निर्वाचन सम्पन्न होने तक निम्न कार्यो के क्रियान्वयन पर भी प्रभावी रोक रहेगी:-

(i) आग्नेयास्त्रों एवं उनके व्यवसायों हेतु नये लाईसेंस जारी किया जाना ।

(ii) पंचायतीराज एवं नागर स्थानीय निकाय संस्थाओं द्वारा भूमि, दुकान, भवन आदि के आवंटन/पट्टों की कार्यवाही किया जाना ।

(iii) पंचायत एवं नागर निकायों की चल-अचल संपत्ति का स्थानान्तण किया जाना ।

(iv) पंचायत एवं नागर स्थानीय निकायों संस्थाओं से सम्बन्धित मामलों में नीलामी, ठेके, तहबाजारी की कार्यवाही किया जाय ।

(v) पंचायत एवं नागर निकाय क्षेत्रों में सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकानों के लाईसेंस प्रदान करना ।

(vi) पंचायत एवं नागर निकाय द्वारा नये निर्माण कार्यो की स्वीकृति एवं उनके लिये धनावंटन तथा नये निर्माण कार्य प्रारम्भ करना ।

वोट हमारा है अधिकार, इसे न करना अब बेकार !

(ङ) निर्वाचन अवधि के दौरान मतदाताओं को निर्भीकता पूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये शासन/प्रशासन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए :-

(i) निर्वाचन अवधि के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों के लाईसेंसधारियों के आग्नेयास्त्रों जमा करायें जायें तथा शस्त्र लेकर चलने पर रोक लगायी जायें ।

(ii) निर्वाचन कार्यो में गड़बड़ी फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके उनके विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही की जाय ।

(iii) मतदान केन्द्रों/स्थलों तथा मतगणना केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय । ताकि बलपूर्वक मतदान एवं बूथ कैप्चरिंग की घटनायें घटित न हो तथा दलित/निर्बल वर्ग के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से न रोका जाय ।

(iv) मतदान एवं मतगणना की तिथियों पर शराब/भांग और अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक लगायी जाय ।

(v) मतदान एवं मतगणना की तिथि पर निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय ।

(vi) मतदान की तिथि पर राजकीय कार्यालय/शैक्षणिक संस्थाओं स्थानीय निकायों में स्थानीय अवकाश घोषित किया जाय ।

(vii) मतदान की तिथि पर अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत कारीगरों/मजदूरों को अवकाश दिया जाय ।

उक्त के आलोक में यदि **आदर्श आचरण संहिता** का कोई उल्लघंन प्रकाश में आये तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाय ।

आदर्श आचरण संहिता के तहत उल्लिखित व्यवस्थाओं से अवगत होते हुये सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों, आयुक्तों, विभागाध्यक्षों, जिला अधिकारियों तथा कार्यालयध्यक्षों द्वारा निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय ।

सुबर्द्धन
राज्य निर्वाचन आयुक्त
उत्तराखण्ड ।

मतदान करके देश निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें !

संकल्प पत्र

आपका वोट आपका भविष्य

''हम उत्तराखण्ड के नागरिक लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास रखते हुए संकल्प लेते हैं कि, हम प्रदेश की लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की मर्यादा को बनाये रखते हुए आगामी पंचायतों व नागर स्थानीय निकायों के निर्वाचन में निर्भीक होकर बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय, भाषा एवं अन्य किसी प्रलोभन से मुक्त होकर बेहतर भविष्य हेतु अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे ।

मतदान करके देश निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें!

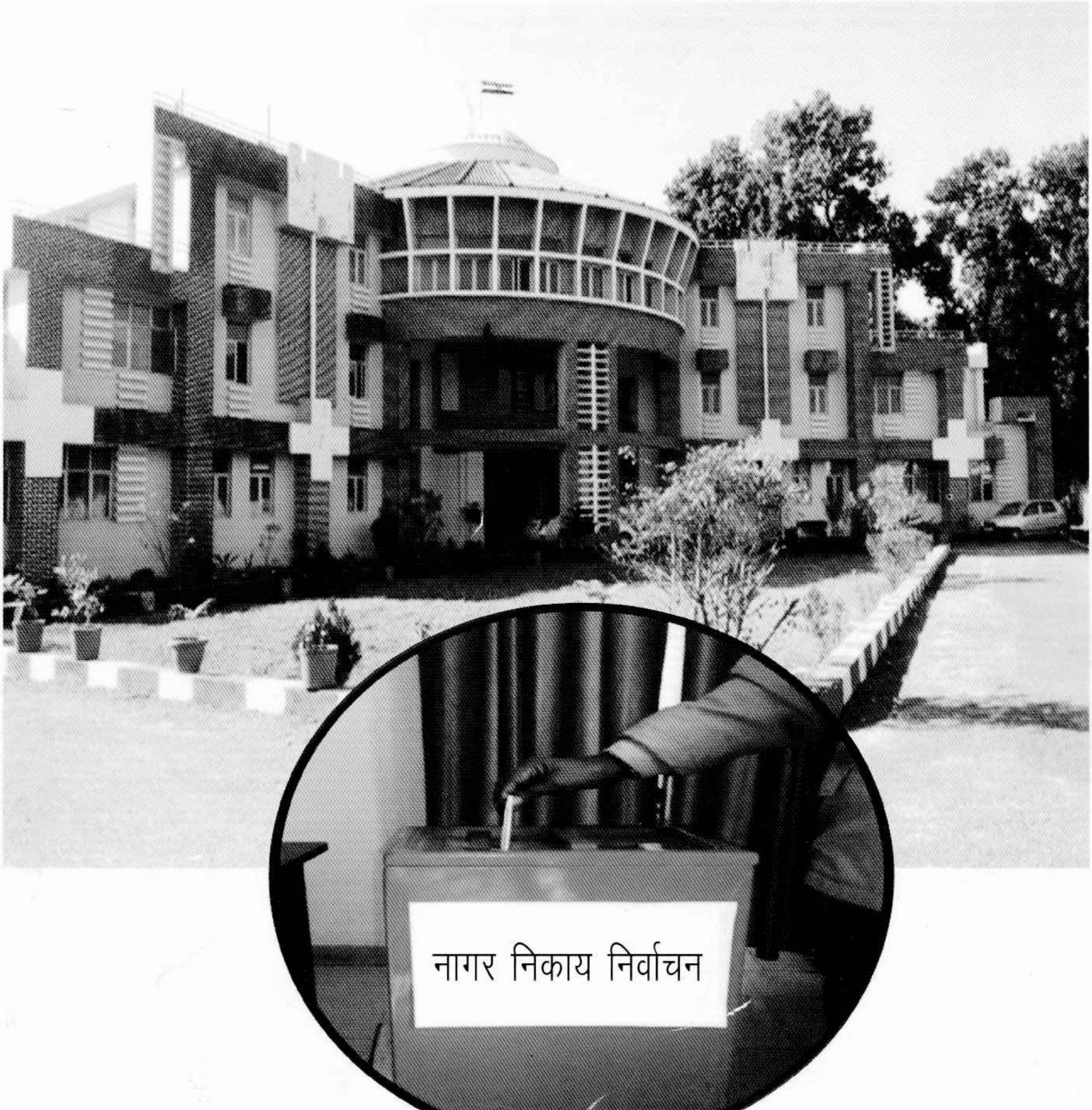

राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड

''निवार्चन भवन'', लाडपुर मसूरी बाई पास, रिंग रोड,

देहरादून - 248008